संख्या- 57 /2025 / 1540 / सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

दिनांक- 24, अक्टूबर, 2025

विषय: उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के संचालन हेतु परामर्शी विभागों दिये गये परामर्श के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-187/नि0शा0/म0पा0क0को0/ 2025-26 दिनांक 21.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के प्रबन्ध समिति की दिनांक 21.03.205 के सम्पन्न बैठक में शासनादेश संख्या- 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-3/2025/138/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021 दिनांक 27.01.2025 द्वारा उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के संचालन हेतु निर्गत मार्ग- निर्देशों पर सम्बंधित विभागों का परामर्श प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मार्ग- निर्देश निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रबन्ध समिति के निर्देशानुसार उक्त शासनादेशों द्वारा निर्गत मार्ग- निर्देशों पर उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के संचालन हेतु मदवार सम्बंधित विभागों का परामर्श प्राप्त किया गया। उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के संचालन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा निम्नवत परामर्श दिया गया है-

क्र	शासनादेश संख्या	संबंधित विभाग के शासनादेश का संदर्भ/औचित्य, जिसके आधार पर मार्ग निर्देश निर्गत किए गए हैं	परामर्शी विभागों का अभिमत
1	शासनादेश संख्या 6/2023/ 270/सत्रह-म-2023-17-1099/ 55/2021दिनांक06.03.2023 एवं शासनादेश संख्या 3/2025/138	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 19/2021/165/36-3-2021-01 (यू.एस.एस.)/13 टी.सी. दिनांक 20.10.2021 द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है। इसके अन्तर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को रू0 5.00 लाख तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना है तथा साथ ही असंगठित कामगारों को वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।	श्रम विभाग विभाग का अभिमत- ऐसे सभी निर्माण श्रमिक, जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हैं और शासनादेश संख्या-488/36-2-2013 दिनांक 25.07.2013 द्वारा अधिसूचित 40 भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) में 90 दिन कार्यरत हों, वे बोर्ड में लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र होते हैं।

/ सचह-म-2 025-17-109 9/55 / 20 21 दिनांक 2 7.01.2025	मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत स्टेट एजेन्सी कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 5.00 लाख रूपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। चिकित्सा सहायता हेतु गम्भीर बीमारियों का वितरण उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या- 4200-4331/भ०नि०बो० (90)/2011, दिनांक: 15.07.2011, उ0प्र0 शासन श्रम अनुभाग-2 के पत्र संख्या-13/2015/ 319/36-2-2015-93 (1)/11 दिनांक: 03.11.2015 एवं पत्र संख्या 3190-96/भ०नि०बो० (90)/ 2017 दिनांक: 03.10.2017 द्वारा गम्भीर बीमारियां अधिसूचित की गयी हैं। चिकित्सा सहायता हेतु श्रम विभाग एवं चिकित्सा विभाग अनुभाग-1 में निहित पात्रता एवं मानक के अनुसार पात्र एवं यहां सहायता से वंचित मत्स्य पालकों/मछुआरों को आच्छादित किए जाने हेतु मार्ग निर्देश निर्गत हैं।	प्रश्नगत अधिसूचना में अधिसूचित 40 प्रकार की भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में मत्स्य पालक को सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः उक्त के दृष्टिगत 'मत्स्य पालक' उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत प्रथमतः निर्माण श्रमिक के रूप में आच्छादित नहीं हैं तथा वे बोर्ड द्वारा संचालित 'निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना' के अन्तर्गत हितलाभ प्राप्त किये जाने हेतु अपात्र हैं। परन्तु यदि कोई मत्स्य पालक (मछुआरा), श्रम अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 25-07-2013 द्वारा अधिसूचित 40 भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रिया में से किसी एक प्रक्रिया में नियोजित है, ऐसी स्थिति में वह निर्माण श्रमिक के रूप में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराकर विहित प्रक्रियानुसार बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनान्तर्गत हितलाभ प्राप्त कर सकता है, जिसमें **निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना** भी सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग, मत्स्य पालक एवं उनके परिवारों के हितार्थ संचालित योजनाओं का हितलाभ प्रदान करते समय इस आशय की पुष्टि अवश्य कराना सुनिश्चित करेगा कि **मत्स्य पालक, पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में समान प्रकार की योजना से लाभान्वित नहीं है।** शासनादेश संख्या-705/36-03-2017-01 (यू०एस०एस०)/13 टी०सी० दिनांक 21.06.2017 में असंगठित कर्मकारों की सूची में क्रम संख्या-25 पर 'मछुआरा' का उल्लेख है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजना

ओं-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के हितला भ हेतु मछुआरे पात्र हैं। ऐसी स्थिति में प्रश सकीय विभाग, मत्स्य पालक एवं उनके परिवारों के हितार्थ संचालित योजनाओं का हितलाभ प्रदान करते समय इस आशय की पुष्टि अवश्य कराना सुनिश्चित करेगा कि **मत्स्य पालक, उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मक ार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा संचालित समान प्रकार की योजना से लाभान्वित नह ीं हैं।**

उपर्युक्तानुसार वस्तुस्थिति के आलो क में मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालक तथा उनके परिवारों के हितार्थ कल्याण को ष का गठन करते हुए उक्त परिवारों को चि कित्सा सहायता प्रदान किये जाने के बिन्दु पर श्रम विभाग की सहमति है।

(ब) <u>चिकित्सा विभाग का अभिमत-</u>

समाज के गरीब एवं वंचित परिवारों को स् वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश् य से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरो ग्य योजना सितम्बर, 2018 से संचालित की जा रही है। एस०ई०सी०सी० 2011 में न िर्धारित मापदण्डों के आधार पर जो परिवार पात्र होते हुए भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामि ल होने से वंचित रह गये थे, उन्हें चिन्हित करते हुए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ज न आरोग्य अभियान से आच्छादित किया गया है। किसी विशिष्ट व्यवसाय के आध ार पर समूह/ सामुदाय को, उक्त योजना में लाभ प्रदान किये जाने का कोई प्राविधा न नहीं है।

मत्स्य विभाग अपने पंजीकृत लाभ ार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करा ये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन

			आरोग्य अभियान की भाँति लाभ प्रदान क र सकते हैं, जिस प्रकार सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा अपने मान्यता प्राप्त प त्रकारों एवं भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अपने पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। विभाग द्वारा अपने पंजीकृत लाभा थियों को योजनान्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा उप लब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित आवश्य कतायें पूर्ण किया जाना अनिवार्य है:- (1) मत्स्य विभाग द्वारा लाभार्थी श्रेणी को योजनान्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ प्रद ान किये जाने हेतु राज्य सरकार की स्वी कृति एवं अनुमोदन प्राप्त करना। (2) प्रस्तावित लाभार्थी परिवारों एवं उन के सदस्यों का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। (3) प्रस्तावित लाभार्थी परिवारों एवं उन के सदस्यों के उपचार हेतु योजनान्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा प्रस्तुत दावों के भुगतान के लिए आवश्यक अग्रिम ब जट व्यवस्था (प्रति वर्ष)। (4) प्रत्येक पात्र परिवार के सापेक्ष प्रश ासनिक व्यय की व्यवस्था। (प्रति वर्ष)। उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण हो जा ने के उपरान्त प्रस्तावित श्रेणी को मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलि त किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है।
2	शासनादेश सं ख्या 6/2023/ 2 70/सत्रह-म- 2023-17-10 99/ 55/20	राजस्व अनुभाग-11, के शासनादेश सं0 - 387/एक-11-2021-4 (जी)/2015 द िनांक 09.06.2021, शासनादेश सं0- 157(1)/एक-11-2021 दिनांक 08.07.2 021, तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-30-03/2020-NDM-I(Vo	राजस्व विभाग का अभिमत- (i) मछुआरों को मशीनीकृत नावों और क्षत िग्रस्त/खोए हुए जालों की केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत के लिए 6, 000/- रुपये।

	21दिनांक06.03.2023	I-II)दिनांक 10.10.2022 के क्रम में वि जस्व अनुभाग-11, के शासनादेश सं0-1-111099/59/2022-11 दिनांक 13.10.2022 तथा शासनादेश सं०- 586/एक-11-2022-4 (जी)/2015 दिनांक 13.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु प्रावधान किया गया है। बेमौसम भारी वर्षा/अति वृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव एवं बोरवेल में गिरने, कुआं, नदी व झील, तालाब,पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबकर होने वाली मृत्यु के अतिरिक्त प्रदेश में सांड एवं घनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है। उपरोक्त शासनादेश में प्रावधानित मानक एवं पात्रता के अनुसार पात्र एवं यथा सहायता से वंचित मत्स्य पालकों/मछुआरों को आच्छादित किए जाने हेतु मार्ग निर्देश निर्गत हैं।	मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए सहायता। (यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत तत्काल आपदा के लिए पात्र है या उसने कोई सब्सिडी/सहायता प्राप्त की है, तो यह सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।) (ii) छोटे और सीमांत किसानों को मछली बीज पालन के लिए इनपुट सब्सिडी	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिए 3,000/- रुपये।पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नावों के प्रतिस्थापन के लिए 15,000/- रुपये। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए 4,000/- रुपये। (इस मद के अंतर्गत सहायता, तत्काल आपदा के लिए किसी भी बीमा योजना के अंतर्गत मछुआरे द्वारा प्राप्त बीमा दावे, यदि कोई हो, की सीमा तक समायोजित की जाएगी।) 10,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर। यह सहायता उस स्थिति में प्रदान नहीं की जाएगी यदि लाभार्थी मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली एक मुश्त सब्सिडी को छोड़ कर, किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत, तत्काल आपदा के लिए पात्र है या उसने कोई सब्सिडी/सहायता प्राप्त की है।
3	शासनादेश संख्या 1/ 202	योजनान्तर्गत निर्गत मार्ग निर्देश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालन संबं	समाज कल्याण विभाग विभाग का	

	5 /128/ सत्रह-म-2025-17-1099/55/ 2021 दिनांक 23.01.2025	धी समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या- 101/2017/44वीआईपी/26-3-2017-4(188)/93 टी0सी0 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017, शासनादेश संख्या- 149/2018/ 2082/26-3-2018-4(180)/93टी0सी0 दिनांक 27 जून 2018 एवं शासनादेश संख्या- 40/2019/625/26-3-2019-4(188)/93 टी०सी० दिनांक 06 फरवरी, 2019 द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मार्ग निर्देश/ मानक / निर्धारित धनराशि के अनुसार एक जोड़े पर कुल रु० 51000.00 धनराशि एवं समय-समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित मानकों/धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक मछुआ परिवार की ऐसी पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान किए जाने हेतु निर्गत है। आवेदक प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सामूहिकविवाह योजना या वैवाहिक सहायता संबंधी अन्य किसी योजना से लाभान्वित नहीं हुए हों।	अभिमत- समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का संचालन किया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत आवेदक प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या वैवाहिक सहायता सम्बन्धी अन्य किसी योजना से लाभान्वित हुए हों, उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
4	शासनादेश संख्या 1/ 2025/128/ सत्र-म-2025-17-1099/55/ 2021 दिनांक 23.01.2025	पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या :4/2016/170/64-2-2016-1(141)/2003 दिनांक 12 अप्रैल 2016 ,के साथ संलग्न नियमावली कार्यालय ज्ञाप संख्या :169/64-2-2016-1(141)/2003 दिनांक 12 अप्रैल 2016,शासनादेश संख्या -22/2016/536/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति) /2013 दिनांक 19 अगस्त 2016 व पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 कर संख्या-20/2017/902/64-2-2017-1 (छात्रवृत्ति)/ 2013 दिनांक: 08 दिसम्बर, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (पंचम संशोधन) नियमावली,	**(अ) समाज कल्याण विभाग का अभिमत-** उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (पंचम संशोधन) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों/नियमावली के अन्तर्गत उल्लिखित मानकों/निर्धारित धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक/मछुआरा परिवार के अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा हेतु सहायता अन्तर्गत दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति ऐसे छात्रों को प्रदान किया जाएगा, जिन्हें इस हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण विभाग या राज्य सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना से शुल्क प्रतिपूर्ति या सहायता राशि उपलब्ध हुई हो, को शुल्क प्र

		2017 मे निहित प्रावधानों / नियमाव ली के अंतर्गत उल्लिखित मानकों /न िर्धारित धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक / मछुआरा परिवार के अध्ययन रत बच्चों को शिक्षा हेतु सहायता अंतर्गत दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति ऐसे छात्रों को प्रदान किया जाएगा, जिन्हे इस हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण विभाग या राज्य सरकार /भारत सरकार की किसी अन्य योज ना से शुल्क प्रतिपूर्ति या सहायता रा शि उपलब्ध न हुई हो, को शुल्क प्रत िपूर्ति हेतु मार्ग निर्देश निर्गत है।	तिपूर्ति हेतु मार्ग निर्देश निर्गत है। उक्त योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को लाभान्वित किये जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुन िश्चित किया जायेगा कि किसी अन्य विभाग द्वारा उक्त आवेदक को समरूप योजना से लाभ प्राप्त न हुआ हो, जिस से द्विरावृति की स्थिति उत्पन्न न हो। **(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का अभि मत-** मत्स्य पालक कल्याण कोष के का र्यक्रम/मद क्र0-4- वैवाहिक सहा यता एवं क्र0-5- शिक्षा हेतु सहायता (कोचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृति आदि) के आवेदक, जो अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अन्तर्गत आते हैं, द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए पोर्टल को एक दूसरे से इन्टीग्रेट कराया जाना उचि त होगा ताकि डुप्लीकेसी (Duplicacy) की सम्भावना को नगण्य किया जा स के।"
5	शासनादेश सं ख्या 6/2023/ 2 70/सत्रह-म-2023-17-10 99/ 55/20 21 दिनांक 0 6.03.2023 यथा संशोधित शासनादेश सं ख्या 3/2025/138	मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य बस्ती व गलियारों में अवसंरचनात्मक सुविधा ओं की स्थापना अंतर्गत मछुआ बाहुल्य ग्राम जहां प्रकाश व्यवस्था हेतु पूर्व से किसी प्रकार की स्ट्रीट लाइट/ सोलर ल ाइट स्थापित न हो, में सोलर स्ट्रीट ल ाइट तथा अत्यंत अपरिहार्यता की स्थ िति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना हेतु निदेशक उत्तर प्रदेश नवीन व नवीक रणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के मान क के आधार पर मार्ग निर्देश तैयार कि	**ऊर्जा विभाग का अभिमत-** विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किये जा ने पर आवेदक को नियमानुसार विद्युत सं योजन निर्गत किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त होने पर मात्स्यिकी गतिविधि हेतु वाणिज् यिक संयोजन निर्गत किया जायेगा, इसके लिए प्रोसेसिंग फीस व प्रावक लन धनराशि का पूर्ण भुगतान आवेदक को करना होगा। संयोजन निर्गत होने के उपरान्त मत्स्य पालक (उपभोक्ता) को उस के द्वारा उपभोग की गयी विद्युत के आधा र पर तथा मा० उत्तर प्रदेश विद्युत नियां

	/ सत्रह-म-2025-17-1099/55 / 2021 दिनांक 27.01.2025	या गया है। मार्ग निर्देश में उल्लिखित आगणित धनराशि समय-समय पर यू.पी. नेडा द्वारा संशोधितआगणन के अनुसार परिवर्तनीय होगी, के अनुसार मार्ग निर्देश निर्गत है।	शक नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ रेट के आधार पर बिल का भुगतान प्रतिमाह करना होगा। (ब) अतिरिक्त ऊर्जा विभाग का अभिमत - मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मछुआ बाहुल्य ग्रामों में अवसंरचनात्मक सुविधा सोलर स्ट्रीट लाइट एवं हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए ऐसे मछुआ बाहुल्य ग्राम, जिनमें पूर्व में किसी प्रकार की स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट स्थापित न हो, में सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अपरिहार्यता की स्थिति में सोलर हाईमास्ट लाइट लगाये जाने हेतु चिन्हित स्थल सूची एवं यूपीनेडा की निर्धारित दरों पर वांछित धनराशि मत्स्य विभाग, उ0प्र0 द्वारा यूपीनेडा को उपलब्ध कराये जाने पर यूपीनेडा द्वारा उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु संशोधित मार्ग-निर्देश सं0 03/2025 /38/सत्रह-म.2025-17-1099/55/2021 दिनांक 27 जनवरी, 2025 के अनुक्रम में सोलर स्ट्रीट लाइट एवं सोलर हाईमास्ट लाइटों की स्थापना कराये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।
6	शासनादेश संख्या 11/ 2025 /361/ सत्रह-म-2025-17-1099/ 55/ 2021 दिनांक 03.04.2025	मत्स्य पालक / मछुआरा वृद्धजनों को वृद्धावस्था सहायता प्रदान प्रदान किए जाने हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या :7/2015/1068/26-2-2015 समाज कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 24 अप्रैल 2015, शासनादेश संख्या -22 /2015/ 2123/ 26-2-2015 समाज कल्याण अनुभाग -2 दिनांक 14 सितंबर 2015, शासनादेश संख्या -09/2018/794 /26-2-2018-100(02)/2007 समाज	**समाज कल्याण विभाग का अभिमत-** समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु वृद्धावस्था पैंशन योजना का संचालन किया जाता है। उक्त पैंशन की धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक/मछुआ परिवार के ऐसे वृद्ध जो समाज कल्याण विभाग की संचालित वृद्धावस्था पैंशन योजना से किन्हीं कारणों से अभी तक आच्छादित न हुए हों, उन्हें उ0प्र0 मत्स्य पालक

		कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 16 मई, 2018, द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के जारी दिशा निर्देशों /निर्धारित मानकों / धनराशि के अनुसार एवं समय समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित मानकों / धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक /मछुआ परिवार के ऐसे वृद्ध जो समाज कल्याण विभाग की संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना से किन्ही कारणों से अभी तक आच्छादित न हुए हों, उन्हें उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से तात्कालिक रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में निर्धारित मासिक पेंशन की धनराशि के बराबर की धनराशि सहायता के रूप में वृद्धावस्था सहायता प्रदान किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति के उपरांत कल्याण कोष से किसी प्रकार की सहायता अनुमन्य नहीं होगी। उक्तानुसार मार्ग निर्देश निर्गत है।	कल्याण कोष से तात्कालिक रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना की धनराशि के बराबर की धनराशि सहायता के रूप में दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति के उपरांत कल्याण कोष से किसी प्रकार की सहायता अनुमन्य नहीं है।
7	शासनादेश संख्या 11/ 2025 /361/ सत्रह-म-2025-17-1099/ 55/ 2021 दिनांक 03.04.2025	मत्स्य पालन संबंधी मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता की दरें किसान क्रेडिट कार्ड पर वर्तमान में देय ब्याज पर छूट की राहत दर वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एम - 3/5/2020-AC दिनांक 24-09-2021 के अनुसार मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुसार ऋण संवितरण की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन ब्याज दर में 3% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट का प्राविधान है। मत्स्य पालक द्वारा बैंक को समय से भुगतान किए जाने पर क्रेडिट कार्ड ऋण की धनराशि के सापेक्ष लाभार्थी द्वारा ब्याज के रूप में यह	**संस्थागत वित्त विभाग का अभिमत-** निदेशक मत्स्य के पत्र दिनांक 21-04-2025 में मत्स्य पालन संबंधी मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता की दरें किसान क्रेडिट कार्ड पर वर्तमान में देय ब्याज पर छूट की राहत दर वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एम 3/5/2020-AC दिनांक 24-09-2021 के अनुसार मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुसार ऋण संवितरण की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन ब्याज दर में 3% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट का प्रविधान है। मत्स्य पालक द्वारा बैंक को समय से भुगतान किए जाने पर क्रेडिट

		सुविधा भुगतान की गई 4% धनराशि को उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से ब्याज पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा सकेगा। यह सुविधा मत्स्य पालक/मछुआरा को मत्स्य पालन संबंधी किसान क्रेडिट कार्ड पर जिनके द्वारा क्रेडिट कार्ड से लिए गए कार्यशील पूंजी / अल्पकालिक ऋण का समय से भुगतान किया गया हो, को उपलब्ध होगी । इस प्रकार से मत्स्य पालक को किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी । डिफॉल्टर होने व समय से बैंक को ऋण का भुगतान न किए जाने पर उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, संबंधी मार्ग निर्देश निर्गत किए गए हैं ।	कार्ड ऋण की धनराशि के सापेक्ष लाभार्थी द्वारा ब्याज की भुगतान की गई 4% धनराशि को उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से ब्याज पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा सकेगा। साथ ही यह सुविधा मत्स्य पालक/ मछुआरा को मत्स्य पालन संबंधी किसान क्रेडिट कार्ड पर जिनके द्वारा क्रेडिट कार्ड से लिए गए कार्यशील पूँजी/ अल्पकालिक ऋण का समय से भुगतान किया गया हो , को उपलब्ध होगी। इस प्रकार से मत्स्य पालक को किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। डिफाल्टर होने व समय से बैंक को ऋण का भुगतान न किए जाने पर उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अतः उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के संचालन के संबंध में पूर्व निर्गत मार्ग निर्देश में क्रम सं0-08 पर अंकित की गई व्यवस्था पर संस्थागत वित्त विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।
8	शासनादेश संख्या 11/ 2025 /361/ सत्रह-म-2025-17-1099/ 55/ 2021 दिनांक 03.04.2025	मत्स्य पालक/मछुआरा परिवारों को मत्स्य पालन से संबंधित तालाबों, एवं अन्य परियोजनाओं में जलापूर्ति के लिए नलकूपों के संचालन आदि हेतु लिए गए मात्स्यिकी गतिविधि हेतु वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन के व्यय भार पर कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-निर्देश निम्न शर्तों/उपबंधों के अनुसार निर्गत किया गया है। (अ) एक वित्तीय वर्ष में प्रति हे0 अधिकतम 5000 यूनिट वार्षिक विद्युत भार पर ही सहायता धनराशि दी जा सकेगी । (ब) न्यूनतम 0.20 हे0 से अधिकतम 2.00 हे0 की सीमा तक के तालाब	**ऊर्जा विभाग का अभिमत-** विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किये जाने पर आवेदक को नियमानुसार विद्युत संयोजन निर्गत किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त होने पर मात्स्यिकी गतिविधि हेतु वाणिज्यिक संयोजन निर्गत किया जायेगा, इसके लिए प्रोसेसिंग फीस व प्राक्कलन धनराशि का पूर्ण भुगतान आवेदक को करना होगा। संयोजन निर्गत होने के उपरान्त मत्स्य पालक (उपभोक्ता) को उसके द्वारा उपभोग की गयी विद्युत के आधार पर तथा मा० उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ रेट के आधार पर बिल का भुगतान प्रतिमाह करना होगा।

		ब पर विद्युत कनेक्शन धारक को सह यता प्रदान किए जाने हेतु यूनिट की गणना तालाब क्षेत्रफल के अनुसा र आनुपातिक आधार पर किया जाए गा। (स) मत्स्य पालन तालाबों /मत्स्य बीज रियरिंग तालाब एवं आर०ए०एस० / बायोफलॉक/ हैचरी में जलापूर्ति हेतु वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन होना चाहि ए। (द) आवेदक द्वारा भुगतान किए गए बीजक एवं भुगतान रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर संबंधित मत् स्य पालक/मछुआ को उसके द्वारा विद्यु त विभाग को कुल भुगतान की गई ध नराशि का 40% धनराशि अनुदान सह यता के रूप में उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से प्रदान किया जाएगा।	

4- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मत्स्य पालक कल्याण कल्याण कोष के संचालन के सम्बंध में सम्बंधित परामर्शी विभागों द्वारा दिये गये उपरोक्त अभिमत के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 24-10-2025 13:25:59

(मुकेश कुमार मेश्राम)

प्रमुख सचिव।

संख्या 27 / 2025//1548/सत्रह-म-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/श्रम विभाग/ चिकित्सा विभाग/ राजस्व विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ऊर्जा विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग/संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4- मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद तेलंगाना।
5- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
8- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9- समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बड़ौदा उ0प्र0 लखनऊ।
10- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 ।
11- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
अनु सचिव।